रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 | भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA | REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43] दिल्ली, मंगलवार, मार्च 12, 2013/फाल्गुन 21, 1934 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 292
No. 43] DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 2013/PHALGUNA 21, 1934 [N.C.T.D. No. 292

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

खाद्य सुरक्षा विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 12 मार्च, 2013

सं. फा. 7(184)/12/डीओएफएस/10051-10061.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. 27/59-एचआईएम (1) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रशासक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग में पदनामित अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए पदनाम, पदों की संख्या, पद का वेतनमान, आयु-सीमा, शैक्षणिक योग्यता, परिवीक्षा की अवधि, भर्ती की पद्धति, विभागीय पदोन्नति समिति का गठन के संबंध में यहां संलग्न अनुसूची में नियमों में संशोधन करते हैं ।

खाद्य सुरक्षा विभाग में पदनामित अधिकारियों के पद के भर्ती नियम—

अनुसूची

1.	पदनाम	पदनामित अधिकारी
2.	पदों की संख्या	09 * (2013) * अन्तर कार्यभार पर निर्भर है
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित अलिपिकीय
4.	पे बैंड तथा ग्रेड पे /वेतनमान	पीबी–2, 9300–34800 रू0 + ग्रेड वेतन 4600रू0
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिये आयु सीमा	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय) नोट :– आयु सीमा निर्धारित करने के लिये मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, लेकिन यह असम

		मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,त्रिपुरा,सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीजन व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिये निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है ।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	अनिवार्य क (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान के विषय सहित विज्ञान में स्नातक की उपाधि या (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित मान्यता प्राप्त योग्यता/अन्य किसी समकक्ष से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेरी प्रौद्योगिकी या जीव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु पालन विज्ञान या जीव रसायन या सूक्ष्म जीव विज्ञान में उपाधि या रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री या औषधि में डिग्री । या केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य सक्षम/मान्य योग्यता ख मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा इस उददेश्य के लिये अनुभोदित संस्थान में खाद्य प्राधिकरण द्वारा यथानिर्धारित प्रशिक्षण को पदनामित अधिकारी द्वारा 6 माह के अन्दर सफलतापूर्वक पूर्ण करना । टीपः– अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवके पर शिथिलनीय है
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिये निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मींदवारों पर भी लागू होगी ।	**आयु**–नहीं **शैक्षिक योग्यता**–कालम 11 में उल्लिखित सीमा तक
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत ।	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है ।	पदोन्नति वेतन समूह–2 (9300–34800 रू)+ ग्रेडपे 4200 रू0 से नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के बाद इस ग्रेड पे में 5 साल की सेवा रखने वाले वे खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिन्होंने एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान सहित विज्ञान में न्युनतम स्नातक उपाधि रखने वाले और खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 और नियमावली 2011 तथा विनियमन 2011 में के अन्तर्गत निर्धारित शैक्षिक योग्यताओं में से कम से कम एक होना चाहिये । इस प्रकार नियुक्त कोई व्यक्ति अपनी पदोन्नति की तिथि से 6 माह की अवधि खाद्य प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्राप्त करना होगा ।

		टीपः पीएफए नियमावली 1955 के अन्तर्गत निर्धारित योग्यता रखने वाले खाद्य निरीक्षक या स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी के रूप में नियुक्त हुए कोई किसी व्यक्ति पदनामित अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र होगा । राज्य सरकार द्वारा पदनामित अधिकारी के पद के लिये यथानिर्धारित ऐसी अन्य शर्तो को पूरा करता हो । टीप :- जिन कनिष्ठ अधिकारियो ने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक * पात्रता वेब ऐसी अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियो के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक / पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। टीप :- पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 01/01/2006, यह तिथि, जिस तिथि को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुति पर आधारित संशोधित वेतन संरचना विस्तारित हुई है, यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियो पर आधारित विस्तारित सम्बन्ध वेतन/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है ?	समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति संमिति (पदोन्नति / स्थायीकरण पर विचार करने हेतु) 1. प्रधान सचिव(स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण) दिल्ली सरकार –अध्यक्ष 2. आयुक्त(खाद्य सुरक्षा)दिल्ली सरकार–सदस्य 3. अतिरिक्त सचिव(स्वास्थ्य)दिल्ली सरकार–सदस्य
13.	वे परिस्थितियों जिनमें भर्ती के लिये संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है ।	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।